भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 494**

**14 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों की उपज हेतु लाभकारी मूल्य**

**494. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या किसानों को उनकी उपज हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग) सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और वाणिज्‍यिक फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्‍योंकि यह 2018-19 के केन्‍द्रीय बजट द्वारा घोषित एमएसपी को उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्‍तर पर निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को पूरा करता है। वर्ष 2018-19 मौसम के लिए सरकार द्वारा सभी अधिदेशित फसलों के लिए निर्धारित एमएसपी उत्‍पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ देता है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एमएसपी, लागत और लागत पर प्रतिशत लाभ का ब्‍यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

एमएसपी बढ़ाने के अलावा, सरकार ने किसानों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य देने के लिए कई कदम उठाये है जिनमें नामित खरीद एजेन्‍सियों के माध्‍यम से खरीद करना, ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) का कार्यान्‍वयन, मॉडल कृषि उत्‍पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 का अधिनियमन और किसान उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना शामिल है।

सरकार एक नई बाजार संरचना पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित हो। इनमें खेत के नजदीक ही 22,000 खुदरा बाजार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस) की स्‍थापना; ई-एनएएम के माध्‍यम से एपीएमसी में प्रतिस्‍पर्धी और पारदर्शी थोक व्‍यापार; और एक मजबूत तथा किसान हितैषी निर्यात नीति शामिल हैं। मौजूदा व्‍यवस्‍थाओं के अनुसार, उन फसलों की खरीद की जाती है जिसके लिए केंद्रीय एवं राज्‍य की एजेंसियों के माध्‍यम से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषणा की जाती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का प्रश्‍न है, कल्‍याणकारी योजनाओं एवं खाद्य सुरक्षा के लिए बफर भंडारण हेतु मुख्‍य रूप से सार्वजनिक वितरण पद्धति (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं विकेंद्रिकृत खरीद पद्धति के माध्‍यम से उनकी खरीददारी की जाती है। सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर केन्‍द्रीय नोडल एजेन्‍सियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का भी कार्यान्‍वयन करती है।

हाल ही में शुरू की गई समग्र योजना ‘‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)’’ में कृषि उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्‍पादकों/किसानों हेतु एक लाभकारी एवं स्‍थाई मूल्‍य परिवेश सुनिश्‍चित करने के लिए एक समग्र व्‍यवस्‍था का प्रावधान है। इस समग्र योजना में किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्‍चित करने हेतु दलहनों एवं तिलहनों के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहनों के लिए भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) एवं प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद तथा भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं।

**अनुबंध**

**दिनांक 14.12.2018 को उत्‍तर के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 494 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध**

**लागत\*, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और लागत पर प्रतिशत लाभ (रू./क्‍विंटल)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **जिंस** | **2017-18** | **2018-19** |
| **खरीफ फसलें** | **लागत** | **एमएसपी** | **लागत पर % लाभ** | **लागत** | **एमएसपी** | **लागत पर % लाभ** |
| 1 | धान (सामान्य) | 1117 | 1550 | 38.8 | 1166 | 1750 | 50.1 |
| 2 | ज्वार (हाईब्रिड) | 1556 | 1700 | 9.3 | 1619 | 2430 | 50.1 |
| 3 | बाजरा | 949 | 1425 | 50.2 | 990 | 1950 | 97.0 |
| 4 | मक्का | 1044 | 1425 | 36.5 | 1131 | 1700 | 50.3 |
| 5 | रागी | 1861 | 1900 | 2.1 | 1931 | 2897 | 50.0 |
| 6 | अरहर (तूर) | 3318 | 5450 | 64.3 | 3432 | 5675 | 65.4 |
| 7 | मूंग | 4286 | 5575 | 30.1 | 4650 | 6975 | 50.0 |
| 8 | उड़द | 3265 | 5400 | 65.4 | 3438 | 5600 | 62.9 |
| 9 | कपास (मध्यम रेशा)  | 3276 | 4020 | 22.7 | 3433 | 5150 | 50.0 |
| 10 | मूंगफली छिलका सहित | 3159 | 4450 | 40.9 | 3260 | 4890 | 50.0 |
| 11 | सूरजमुखी बीज | 3481 | 4100 | 17.8 | 3592 | 5388 | 50.0 |
| 12 | सोयाबीन | 2121 | 3050 | 43.8 | 2266 | 3399 | 50.0 |
| 13 | तिल | 4067 | 5300 | 30.3 | 4166 | 6249 | 50.0 |
| 14 | रामतिल | 3912 | 4050 | 3.5 | 3918 | 5877 | 50.0 |
|   | **रबी फसलें** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | गेहूं | 817 | 1735 | 112.4 | 866 | 1840 | 112.5 |
| 2 | जौ | 845 | 1410 | 66.9 | 860 | 1440 | 67.4 |
| 3 | चना | 2461 | 4400 | 78.8 | 2637 | 4620 | 75.2 |
| 4 | मसूर (लेन्टिल) | 2366 | 4250 | 79.6 | 2532 | 4475 | 76.7 |
| 5 | रेपसीड/सरसों | 2123 | 4000 | 88.4 | 2212 | 4200 | 89.9 |
| 6 | कुसुम्भ | 3125 | 4100 | 31.2 | 3294 | 4945 | 50.1 |
|   | **अन्य फसलें** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | कोपरा (मिलिंग) | 4758 | 6500 | 36.6 | 5007 | 7511 | 50.0 |
| 2 | पटसन | 2160 | 3500 | 62.0 | 2267 | 3700 | 63.2 |
| 3 | गन्ना# | 152 | 255 | 67.8 | 155 | 275 | 77.4 |

\*इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल है जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्‍यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्‍यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्‍याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध व्‍यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्‍य।*.*

*# उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी)*

\*\*\*\*\*